The Uttar Pradesh Public Premises (Eviction Of Certain Unauthorised Occupants) Act, 2010

Act 12 of 2010

Keyword(s):
Employees, Non-Government Organisation, Political Party, Rent, Trade Union, Trust

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम-संख्या-74(क-2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 05 मार्च, 2010

फाल्गुन 14, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 399 / 79-वि-1–10-1(क)15-2010

लखनऊ, 05 मार्च, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 2010 पर दिनांक 03 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2010 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली), अधिनियम, 2010

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2010)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

लखनऊ स्थित और राज्य सम्पत्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी भू-गृहादि से गैर सरकारी संगठनों, राजनैतिक दलों, सोसाइटियों, न्यासों, व्यवसाय संघों, कर्मचारी संघों तथा राजनैतिक दलों की इकाइयों या अग्रणी संगठनों के अप्राधिकृत अध्यासियों या गैर सरकारी व्यक्तियों की बेदखली करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 2010 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम

परिभाषाएं

2-जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(क) "कर्मचारी संघ या व्यक्तियों के किसी निकाय का तात्पर्य" किसी कर्मचारी संघ या व्यक्तियों के किसी निकाय चाहे, नियमित हो या न हो, से है;

(ख) "राज्य सम्पत्ति अधिकारी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के प्रभारी अधिकारी से है;

(ग) "लखनऊ" का तात्पर्य लखनऊ विकास प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र से है;

(घ) "गैर सरकारी संगठन" का तात्पर्य, ऐसे किसी संगठन, चाहे नियमित या पंजीकृत हो या न हो, से है;

(ङ) "गैर सरकारी व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो सरकारी सेवक न हो या किसी सोसाइटी, न्यास या व्यक्तियों के किसी निकाय, चाहे नियमित हो या न हो, का पदधारक या प्रतिनिधि न हो;

(च) "इकाई या अग्रणी अथवा अन्य संगठन" का तात्पर्य किसी राजनैतिक दल, चाहे मान्यता प्राप्त हो या न हो, के किसी इकाई या किसी अग्रणी अथवा किसी अन्य संगठन से है;

(छ) "राजनैतिक दल" का तात्पर्य ऐसे किसी दल से है जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त न हो;

(ज) "सार्वजनिक भू-गृहादि" का तात्पर्य ऐसे भू-गृहादि से है जो लखनऊ और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन राज्य सरकार का हो या पट्टे पर लिया गया हो या उसके द्वारा या उसकी ओर से अधिग्रहीत किया गया हो;

(झ) "किराया" का तात्पर्य किसी सार्वजनिक भू-गृहादि के सम्बन्ध में, उक्त भू-गृहादि के प्राधिकृत अध्यासन के लिए निश्चित अन्तरालों में देय प्रतिफल से है, और उसमें निम्नलिखित सम्मिलित है-

(एक) भू-गृहादि में अध्यासन करने के सम्बन्ध में पानी या किसी अन्य सेवा के लिए अथवा किसी अन्य सम्भरित वस्तु के लिए कोई परिव्यय,

(दो) भू-गृहादि के सम्बन्ध में संदेय कोई कर (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये);

(ञ) "सोसाइटी" का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत किसी सोसाइटी से है;

(ट) "व्यवसाय संघ" का तात्पर्य व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन पंजीकृत किसी व्यापार संघ से है;

(ठ) "न्यास" का तात्पर्य भारतीय न्यास अधिनियम, 1888 के अधीन पंजीकृत किसी न्यास से है;

(ड) "अनधिकृत अध्यासन" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अनधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 में यथा परिभाषित अनधिकृत अध्यासन से है।

अनधिकृत अध्यासी की बेदखली

3-यदि किसी गैर सरकारी संगठन, राजनैतिक दल, सोसाइटी, न्यास, व्यवसाय संघ, कर्मचारी संघ या व्यक्तियों के किसी निकाय, इकाई या अग्रणी अथवा अन्य संगठन और गैर सरकारी व्यक्ति, जिसके उपयोगार्थ लखनऊ में उत्तर प्रदेश के राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवास उपलब्ध कराया गया हो, के पास आवंटन अवधि या उस हैसियत से जिस हैसियत से ऐसे आवास का अधिभोग करने की अनुमति दी गयी थी। की समाप्ति के पश्चात् किसी आवास का अध्यासन हो तो राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति से उक्त आवास 15 दिन के अन्तर्गत रिक्त करने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि ऐसा व्यक्ति उक्त अवधि के अन्तर्गत उक्त आवास को रिक्त करने में विफल रहता है तो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उक्त आवास का कब्जा प्राप्त कर सकता है और इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का उपयोग कर सकता है जैसा कि परिस्थितिवश आवश्यक हो।

सार्वजनिक भू-गृहादि के सम्बन्ध में किराया या क्षतियों की वसूली

4-(1) जहां किसी गैरसरकारी संगठन, राजनैतिक दल सोसाइटी, न्यास, व्यवसाय संघ, कर्मचारी संघ या व्यक्तियों के किसी निकाय, इकाई या अग्रणी अथवा अन्य संगठन और गैर सरकारी व्यक्ति के पास किसी सार्वजनिक भू-गृहादि के सम्बन्ध में संदेय तीन माह का किराया बकाया हो वहां इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, नोटिस द्वारा, सम्बन्धित अध्यासी से नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत ऐसे बकाये का भुगतान करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि सम्बन्धित अध्यासी ऐसे बकाये का भुगतान करने में विफल रहता है तो सम्बन्धित परिसर को अनाधिकृत अध्यासन समझा जायेगा।

(2) जहां किसी गैर सरकारी संगठन, राजनैतिक दल, सोसाइटी, न्यास, व्यवसाय संघ या कर्मचारी संघ या व्यक्तियों के किसी निकाय, इकाई या अग्रणी अथवा अन्य संगठन, गैर सरकारी व्यक्ति के पास किसी सार्वजनिक भू-गृहादि का अनाधिकृत अध्यासन हो या किसी समय रहा हो वहां राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, नोटिस द्वारा अनधिकृत अध्यासी से ऐसी क्षतियों का भुगतान करने की अपेक्षा कर सकता है जिस निमित्त उसे नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उत्तरदायी पाया गया हो।

आदेशों की अन्तिमता

5-इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा और उस पर किसी मूल वाद, आवेदन-पत्र या निष्पादन कार्यवाही में आपत्ति नहीं की जायेगी और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुश्रवण में की गयी या की जाने वाली किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई भी व्यादेश नहीं दिया जायेगा।

अपराध और शास्ति

6-(1) यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि से बेदखल किया गया हों, उन भू-गृहादि पर फिर से अध्यासन, ऐसे अध्यासन के लिए बिना किसी प्राधिकार के कर ले, तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष की हो सकती है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई मजिस्ट्रेट, जो उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराये, उस व्यक्ति को सरसरी तौर से बेदखल करने का आदेश दे सकता है और किसी अन्य कार्यवाही पर, जो उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह व्यक्ति इस प्रकार बेदखल किये जाने का भागी होगा।

वारिसों तथा विधिक प्रतिनिधियों के दायित्व

7-किसी व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को देय धनराशि, चाहे वह वकाया किराये या क्षतिपूर्ति के रूप में हो, का भुगतान उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा, किन्तु उनका दायित्व मृतक की परिसम्पत्तियों जो उनको प्राप्त हुई हो और जिनका यथा विधि निस्तारण न किया गया हो, के परिणाम तक ही सीमित होगा।

भू-राजस्व के वकाया के रूप में किराये आदि की वसूली

8-यदि कोई व्यक्ति धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन देय वकाया किराया या उपधारा (2) के अधीन देय क्षति की धनराशि उससे सम्बन्धित नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर, यदि कोई हो, भुगतान करने से इनकार करे या भुगतान न करे तो राज्य सम्पत्ति अधिकारी कलेक्टर को देय धनराशि के बारे में एक प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा जो भू-राजस्व के बकाया के रूप में उसकी वसूली के लिए कार्यवाही करेगा।

अधिकारिता का वर्जन

9-किसी न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति की वेदखली के सम्बन्ध में जिसका किसी सार्वजनिक भू-गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासन है, या किराया अथवा क्षतिपूर्ति की वसूली के सम्बन्ध में, किसी वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

10-राज्य सरकार के विरुद्ध ऐसी किसी भी बात के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम अथवा दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से की गयी हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

11-(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम को, उसके बनाये जाने के यथा शीघ्र बाद, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र, दो सत्र या उससे अधिक लगातार सत्रों का हो सकता है, रखा जायेगा और यदि उपर्युक्त अवधि में दोनों सदन उक्त नियम में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम न बनाया जाए तो इसके पश्चात् उक्त नियम यथास्थिति ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी या निष्प्रभावी हो जायेगा किन्तु ऐसे उपान्तर या निष्प्रभावीकरण का उक्त नियम के अधीन पहले से कृत किसी कार्य की विधि मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्य और कारण

सार्वजनिक भू-गृहादि, जो राज्य सम्पत्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं और अशासकीय, गैर-सरकारी संगठनों, न्यासों, राजनैतिक दलों आदि के अधिभोग में हैं, को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2008) द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 की परिधि से अपवर्जित रखा गया है ताकि उनके अप्राधिकृत उपभोग से बेदखल करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके क्योंकि सन् 1972 के उक्त अधिनियम के अधीन बेदखली की प्रक्रिया कठिन और दीर्घकारी थी और कतिपय वर्गों के भवनों/अध्यासियों के लिए यह उचित भी नहीं थी। चूँकि अनेक वर्गों के पात्र व्यक्तियों और संगठनों को समुचित वास सुविधा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की बाध्यता है, अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त सार्वजनिक भू-गृहादि से अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली के लिए प्रभावी उपबन्ध किये जायें।

तदनुसार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 2010 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

No. 399(2)/LXXIX-V-1-10-1(ka)15-2010
Dated Lucknow, March 05, 2010

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sarvajanik Bhoogrihadi (Katipaya Apradhikrit Adhyasiyon Ki Bedakhali) Adhiniyam, 2010 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2010) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 03, 2010.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC PREMISES (EVICTION OF CERTAIN UNAUTHORISED OCCUPANTS) ACT, 2010

(U.P. ACT NO. 12 OF 2010)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for the eviction of unauthorised occupants belonging to the Non-Government Organisation, Political Parties, Societies, Trusts, Trade Unions, Employees Associations, Outfits or Frontal Organisations of Political Parties or Non-Government Persons from the Government premises situated at Lucknow and under the administrative control of the Estate Department and for matter connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of certain Unauthorised Occupants) Act, 2010.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Employees Association or any body of persons" means an Employee Association or a body of persons whether incorporated or not;

(b) "Estate Officer" means the Officer-in-charge of Estates to the Government of Uttar Pradesh;

(c) "Lucknow" means the area within the jurisdiction of Lucknow Development Authority;

(d) "Non-Government Organisation" means an Organisation, whether incorporate or registered or not;

(e) "Non-Government Person" means any person who is not a Government Servant, or office bearer or representative of a Society, Trust or any body of persons, whether incorporated or not;

(f) "Outfit or frontal or other Organization" means an outfit or a frontal or any other Organization of a Political Party whether recognized or not;

(g) "Political Party" means a party not recognized by the Election Commission of India;

(h) "Public Premises" means any premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the State Government in Lucknow and under the administrative control of Estate Department of the Government of Uttar Pradesh;

(i) "Rent", in relation to any Public Premises, means the consideration payable periodically for the authorised occupation of the premises, and includes—

(i) any charge for water or any other services or any other thing supplied in connection with the occupation of the Premises;

(ii) any Tax (by whatever name called) payable in respect of the Premises;

(j) "Society" means a Society registered under the Societies Registration Act, 1860;

(k) "Trade Union" means a Trade Union registered under the Trade Unions Act, 1926;

(l) "Trust" means a Trust registered under the Indian Trusts Act, 1888;

(m) "Unauthorised Occupation" means the unauthorised occupation as defined in the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1972.

Eviction of unauthorised occupant

3. If any Non-Government Organization, Political Party, Society, Trust, Trade Union, Employees Association or any body of persons, Outfit or frontal or other Organization, Non-Government Person, for the use of whom an accommodation at Lucknow has been provided by the Estate Department of Uttar Pradesh, is in occupation of an accommodation after the expiration of the period of allotment or the capacity in which was allowed to occupy such accommodation, the State Government or an officer authorized by it in this behalf may by notice in writing require such person to vacate the said accommodation within 15 days, and if such person fails to vacate the said accommodation within the said period, an officer authorised by the State Government in this behalf may take possession of the accommodation and may for the purpose use such force as may be necessary in the circumstances.

Recovery of rent or damages in respect of public premises

4. (1) Where any Non Government Organization, Political Party, Society, Trust, Trade Union, Employees Association or any body of persons, Outfit or frontal or other Organization, Non-Government Person, is in arrears of rent for three months payable in respect of any public premises, any officer authorized by the State Government in this behalf may by notice require the concerned occupant to pay such arrears within the period specified in the notice and if the concerned occupant fails to pay such arrears, the premises concerned shall be deemed to be an unauthorized occupation.

(2) Where any Non Government Organization, Political Party, Society, Trust, Trade Union, Employees Association or any body of persons, Outfit or frontal or other Organization, Non-Government Person, is or has at any time been in unauthorized occupation of any public premises, any officer authorized in this behalf by the State Government may by notice require the Unauthorised Occupant to pay the damages for which he has been found to be responsible within the period specified in the notice.

(2) Where any Non Government Organization, Political Party, Society, Trust, Trade Union, Employees Association or any body of persons, Outfit or frontal or other Organization, Non-Government Person, is or has at any time been in unauthorized occupation of any public premises, any officer authorized in this behalf by the State Government may by notice require the Unauthorised Occupant to pay the damages for which he has been found to be responsible within the period specified in the notice.

Finality of orders

5. Save as otherwise expressly provided in this Act, every order made by the State Government or an authorised officer under this Act shall be final and shall not be called in question in any original suit, application or execution proceeding and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act.

Offences and penalty

6. (1) If any person who has been evicted from any public premises under this Act again occupies the premises without authority for such occupation, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

(2) Any magistrate convicting a person under sub-section (1) may make an order for evicting that person summarily and such person shall be liable to such eviction without prejudice to any other action that may be taken against him under this Act.

Liability of heirs and legal representatives

7. Any amount due to the State Government from any person whether by way of arrears of rent or damages, after the death of the person, be payable by his heirs or legal representatives but their liability shall be limited to the extent of the assets of the deceased that come into their hands and have not been duly disposed of.

Recovery of rent, etc. as arrears of Land Revenue

8. If any person refuses or fails to pay the arrears of rent payable under sub-section (1) or the damages payable under sub-section (2) of section (4) within the time, if any, specified therefor in the notice relating thereto, the Estate Officer may issue a certificate for the amount due to Collector who shall proceed to recover the same as arrears of Land Revenue.

Bar of Jurisdiction

9. No Court shall have Jurisdiction to entertain any suit or proceedings in respect of eviction of any person who is in unauthorised occupation of any Public Premises or the recovery of rent or damages.

Protection of action taken in good faith

10. No suits, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government in respect of anything which is in the good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or of any rules or orders make thereunder.

Power to make Rules

11. (1) The State Government may by notification in the *Gazette* make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before each house of Legislature while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in the successive sessions and if, during the said period both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The public premises which are under the administrative control of the estate department and in occupation of non-official, non governmental organizations, trusts, political parties etc, have been excluded from the ambit of The Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1972 by The Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) (amendment) Act, 2007 (U.P.Act no.15 of 2008) with a view to taking necessary action to evict unauthorized occupant therefrom because the procedure under the said Act of 1972 was cumbersome and time consuming and was also not appropriate for certain classes of buildings/occupants. Since the State Government is under the obligation to provide suitable accommodation and offices to several classes of eligible persons and organizations, it has been decided to make effective provisions for the eviction of unauthorized occupants from the said Public Premises.

The Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Certain Unauthorized Occupants) Bill ,2010 is introduced accordingly.

By order.
P. V. KUSHWAHA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 1177 राजपत्र—2010—(2499)—597 प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 238 सा० विधा०—2010—(2500)—850 प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।